(79)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3552–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–10–2016 पारित द्वारा तहसीलदार, चीनौर, जिला ग्वालियर प्रकरण कमांक 188/बी–121/2015–16.

1– बलवीर सिंह पुत्र रामसिंह जाट
2– श्रीमती रजवंत कौर पत्नी बलवीर सिंह
3– मिलन सिंह पुत्र बलवीर सिंह जाट
निवासीगण ग्राम कृषक सूरजपुर
तहसील चीनोर जिला ग्वालियर
हाल निवासी टौंटा की बजरिया
कम्पू लश्कर, ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– करनेल सिंह पुत्र बघेल सिंह
निवासी ग्राम टेकपुर
तहसील चीनोर जिला ग्वालियर
2– तहसीलदार, चीनोर जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस0 पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, चीनौर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–10–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 करनेल सिंह द्वारा तहसील न्यायालय, चीनोर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भीमवाड़ा एवं सूरजपुर स्थित भूमि कुल किता 17 कुल रकबा 300 बीघा भूमि है । उपरोक्त सर्वे नम्बर पर आवेदकगण जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं द्वारा अवैध तरीके से अपना नामांतरण करवा लिया गया है, जिससे शासन को करोड़ों रूपये के मुद्रांक शुल्क की क्षति हुई है । इसी प्रकार सर्वे क्रमांक 245 रकबा 2.163 हेक्टेयर शासकीय पट्टे की भूमि है, उसका भी अवैध रूप से नामांतरण करा लिया गया है । आवेदकगण द्वारा अर्जित भूमि म0प्र0 कृषि जो उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 की परिधि में भी आ गई है, अतः आवश्यक कार्यवाही की जाये । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 188/2015–16/बी–121 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि उसके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है, अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है, अतः प्रकरण निरस्त किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 6–10–2016 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आवेदक को पक्षकार से मुक्ति प्रदान की गई, और जॉच यथावत जारी रखा गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, और उनका नामांतरण भी हो गया है, अतः आवेदकगण के पक्ष में हुए नामांतरण को बिना पुनर्विलोकन की अनुमति के रिओपन नहीं किया जा सकता है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण को जिस सर्वे नम्बर 245 पर पट्टा बताते हुए सूचना पत्र जारी किया गया है, उसका बटांकन आदेश दिनांक 7–8–2012 से किया गया है, और आवेदकगण को भूमिस्वामी अंकित किया गया है । उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत नहीं किये जाने से वह अंतिम हो गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्जी व्यक्तियों को खड़ा कर उससे शिकायत कराकर आवेदकगण के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत

किया गया कि आवेदकगण को दस्तावेज की प्रतियां प्रस्तुत नहीं कराई गई है, जिस कारण उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है, और तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत नामांतरण किया गया है, अतः समानांतर पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाना विधि विरूद्ध है ।

तर्कों के समर्थन में 1990 आर.एन. 470 एवं 1977 ए.आई.आर. (एस.सी.) 1011 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर बिना किसी वैध अंतरण के नामांतरण करा लिया गया है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही वैधानिक एवं उचित है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 करनेलसिंह के द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदक के विरूद्ध अवैध तरीके से विभिन्न भूमियों का अवैध नामान्तरण कराने की शिकायत की गई । शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के समर्थन में न ही कोई दस्तावेज संलग्न किया गया है और न ही कोई शपथपत्र संलग्न किया गया है । शिकायत के संदर्भ में तहसीलदार के द्वारा शिकायत में तहसील न्यायालय के जिन दायरा पंजीयों के प्रकरणों का उल्लेख है, उनके संबंध में भी अपने न्यायालय में कोई प्राथमिक जॉच नहीं की गई । बिना किसी प्राथमिक परीक्षण तथा जॉच के तहसीलदार के द्वारा आवेदक के विरूद्ध बिना किसी धारा का उल्लेख किये हुये राजस्व प्रकरण दर्ज कर आवेदक को नोटिस जारी किया गया है । तहसीलदार के समक्ष कथित शिकायतकर्ता के द्वारा उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि उसके द्वारा यह शिकायत नहीं की गई है । इसके बाद भी तहसीलदार के द्वारा अप्रमाणित शिकायत के

आधार पर प्रचलित प्रकरण जारी रखा गया तथा बिना आधार के आवेदक को शिकायत के संबंध में जबाव तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया । तहसीलदार की उक्त समस्त कार्यवाही से स्पष्ट रूप से उनके प्रशासकीय अधिकारों का प्रथमदृष्टया दूरूपयोग की श्रेणी में आता है । अपुष्ट आधारों का बिना किसी धारा के उल्लेख किये आवेदक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करना न्यायालय की शक्तियों के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है । तहसीलदार को चाहिये था कि वह प्रथमतः यदि उनको शिकायत में कुछ तथ्य दिखाई दे रहा था तो भू–अभिलेखों, जो कि उनके स्वयं के कस्टडी में होता है, से पुष्टि करना चाहिये थी, लेकिन इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है ।

7/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के विरूद्ध की जा रही उक्त समस्त कार्यवाही को नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है । यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।

8/ इस आदेश की एक प्रति कलेक्टर जिला ग्वालियर की ओर तहसीलदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेजी जावे ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर